

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, रायपुर संभाग

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, RAIPUR REGION

Proforma for Admission on KV TC for session 2024-25 (Beyond the Power of Principal)

1	क. छात्र/छात्रा का नाम:	
	ख. छात्र / छात्रा की जन्मतिथि:	
2	छात्र/छात्रा के माता/पिता का नाम एवं व्यवसाय (यदि केंद्र/ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो उसका प्रमाण संलग्न करें):	माता पिता
	छात्र/छात्रा के माता/पिता के व्यवसाय के आधार पर के.वि.एस. प्रवेश श्रेणी (I,II,III,IV,V):	माता पिता
4	केन्द्रीय विद्यालय का नाम जहाँ KV TC के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया गया है	
5	कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए व विद्यालय में उस कक्षा का औसत नामांकन	कक्षा : औसत नामांकन:
6	क. केन्द्रीय विद्यालय का नाम (जहाँ से TC ली गई है / TC ली जाएगी):	
	ख. पूर्व विद्यालय में किस तिथि एवं कक्षा में प्रवेश लिया गया था:	
	ग. क्या पूर्व विद्यालय से TC ली जा चुकी है (हाँ / नहीं):	
7	वर्तमान के. वि. में प्रवेश आवेदन का आधार/कारण	
8	क्या माता/पिता का स्थानान्तरण हुआ है (हाँ/नहीं)	
	यदि हाँ तो स्थानान्तरण की तिथि व स्थान (स्थानान्तरण आदेश की प्रति संलग्न करें)	
9	कृपया के.वि.एस. प्रवेश दिशानिर्देश 2024-25 के उस खंड/ अनुच्छेद का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत प्रकरण अग्रेषित किया जा रहा है {Part-A Para 5(Note-2),7(ii),7(iii),10; Part-B Para-2, Part-C Para-9(b), अन्य खण्ड/अनुच्छेद या कोई खण्ड/अनुच्छेद लागू नहीं } यदि प्रवेश दिशानिर्देश 2024-25 का कोई खण्ड/अनुच्छेद लागू नहीं है तो प्राचार्य द्वारा आवेदन को अग्रेषित करने का आधार/कारण	
	प्रवेश के लिए प्राचार्य की संस्तुति (संस्तुति की जाती है / संस्तुति नहीं की जाती है):	

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण का मेरे द्वारा अभिभावक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों से विधिवत सत्यापन कर लिया गया है।

(प्राचार्य के हस्ताक्षर)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, रायपुर संभाग के प्रयोग हेतु

केन्द्रीय विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय से केन्द्रीय विद्यालय..... मे उपर्युक्त छात्र / छात्रा को प्रवेश दिया जा सकता है / नहीं दिया जाना चाहिए।

(सहायक आयुक्त)

प्रवेश अनुमोदित / अनुमोदित नहीं

(उपायुक्त)